विपणन संघ

म0 प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल

फोन नं0– 0755–2678468, 2678402 ई–मेल– gmmarketing123@gmail.com,

क0/उपा0एवंमि0/गेहूँ परिवहन/5553 /2016 भोपाल, दिनांक 20.10.2016

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञाप क0/उपा0एवंमि0/गेहूँ परिवहन/5071/2016 भोपाल, दिनांक 22.09.2016 से फर्म मे0 नर्मदा रोड लाईंस जबलपुर को विपणन संघ में परिवहन कार्य हेतु आगामी 10 वर्षो के लिए अपात्र घोषित करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जारी कारण बताओ सूचना पत्र निम्न बिंदुओ पर जारी किया गया :–

1. मे0 पंकजम इंटरप्राइजेज जबलपुर द्वारा रबी विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जित गेहूँ/बारदाना के परिवहन हेतु प्रस्तुत निविदा के तहत निविदा दस्तावेज के साथ श्री रविशंकर अग्रवाल व्यावसायिक संस्था नर्मदा रोड लाइंस बल्देव बाग जबलपुर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि का है, जबकि उनके द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार फर्म की स्थापना के पंजीयन का दिनांक 10.07.2015 है। इस प्रकार स्थापना/पंजीयन की तिथि के पूर्व का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी रूप से जारी किया गया है।

2. मे0 तिरूपति कार्गो जबलपुर द्वारा रबी विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जित गेहूँ/बारदाना के परिवहन हेतु प्रस्तुत निविदा के तहत निविदा दस्तावेज के साथ श्री रविशंकर अग्रवाल व्यावसायिक संस्था नर्मदा रोड लाइंस बल्देव बाग जबलपुर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि का है, जबकि उनके द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार फर्म की स्थापना के पंजीयन का दिनांक 10.07.2015 है। इस प्रकार स्थापना/पंजीयन की तिथि के पूर्व का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी रूप से जारी किया गया है।

3. मे0 नर्मदा रोड लाईन जबलपुर रबी विपणन वर्ष 2010–11 में विपणन संघ के सिवनी जिले में गेहूँ/बारदाना परिवहन हेतु अधिकृत परिवहनकर्ता थे तत्समय विपणन संघ के तत्कालीन जिला विपणन अधिकारी स्वर्गीय श्री पी0एल0 चौहान द्वारा सिवनी जिले में 84,500 जूट बारदाना राशि रू0 27,37,800 की हुई अफरा–तफरी की प्राथमिक सूचना क0 358/10 दिनांक 26.06.2010 को पुलिस थाना कोतवाली सिवनी में दर्ज कराई गई थी, जिसमें श्री रविशंकर परिवहनकर्ता मे0 नर्मदा रोड लाईसं जबलपुर भी आरोपी हैं। पुलिस थाना कोतवाली सिवनी द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी कर प्रकरण में चालान क0 911/13 दिनांक 30.10.2013 को तैयार कर दिनांक 04.02.2014 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 महोदय के यहाँ चालान पेश किया गया है जिसका प्रकरण क0 430/14 है जो कि वर्तमान में माननीय न्यायालय के विचाराधीन है।

4. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क0 6067/खाद्य/2007 भोपाल दिनांक 27.09.2007 से म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को विकेंद्रीकत खाद्यान्न उपार्जन हेत नोडल एजेंसी नियक्त किया गया है।

नोडल एजेंसी म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जबलपुर जिले में अवैध गेहूँ परिवहन कार्य में सम्मिलित होने के कारण आपके परिवार की फर्म मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट कंपनी जबलपुर को आदेश क्र0/परिवहन/2016–17/307 भोपाल दिनांक 14.06.2016 से एवं नर्मदा इंटरप्राइजेज जबलपुर को आदेश क्र0/परिवहन/ 2016–17/308 भोपाल दिनांक 14.06.2016 से निगम के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में आगामी 10 वर्षो तक कार्य करने से बाधित किया गया है।

जारी कारण बताओ सूचना पत्र का कोई उत्तर फर्म मे0 नर्मदा रोड लाईंस जबलपुर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नही किया गया अतः एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया।

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश के अन्य जिलों के साथ–साथ जबलपुर जिले एवं मण्डला जिले में भी रबी विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जित गेहूँ/बारदाना के परिवहन हेतु निविदायें आंमत्रित की गई थी, जिसमें अन्य निविदाकारों के साथ–साथ मे0 श्री पंकजम इंटरप्राइजेज बी 2 बालाजी टावर पूजा नर्सिंग होम के पीछे बल्देव बाग जबलपुर एवं मे0 श्री तिरूपति कार्गो बी 1 बालाजी टावर पूजा नर्सिंग होम के पीछे बल्देव बाग जबलपुर द्वारा भी निविदा प्रस्तुत की गई थी।

मे0 श्री पंकजम इंटरप्राइजेज जबलपुर द्वारा रबी विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जित गेहूँ/बारदाना के परिवहन हेतु प्रस्तुत निविदा के तहत जबलपुर जिले के पनागर सेक्टर हेतु मुख्यालय पत्र क्र0/उपार्जन/स0मू0गेहूँ/04/2016 भोपाल दिनांक 01.04.2016. एवं मण्डला जिले के नैनपुर सेक्टर हेतु मुख्यालय पत्र क्र0/उपार्जन/स0मू0गेहूँ/05/2016 भोपाल दिनांक 01.04.2016 से परिवहन दरें स्वीकृत की गई थी एवं मे0 श्री तिरूपति कार्गो जबलपुर द्वारा रबी विपणन वर्ष 2016–17 में उपार्जित गेहूँ/बारदाना के परिवहन हेतु प्रस्तुत निविदा के तहत जबलपुर जिले के जबलपुर सेक्टर हेतु मुख्यालय पत्र क्र0/उपार्जन/स0मू0गेहूँ/04/2016 भोपाल दिनांक 01.04.2016. से परिवहन दरें स्वीकृत की गई थी। उक्त निविदा हेतु आमंत्रित तकनीकी निविदा एवं आर्थिक निविदा जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष जिला स्तर पर खोली गई, एवं जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर विपणन संघ मुख्यालय स्तर से निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की गई।

निविदा दस्तावेज की कण्डिका क्र0 04 न्यूनतम अर्हताएँ एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण की उपकण्डिका 4.3 में निम्न प्रावधान है :–

अनिवार्य अर्हताऐं	अनिवार्य दस्तावेज
निविदाकार फर्म/कंपनी के पास भारत सरकार/भारत सरकार के प्रतिष्ठान/म0प्र0 शासन/म0प्र0 शासन के प्रतिष्ठान या अन्य योग्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिये किये गये खाद, खाद्यान्न, सीमेंट, शक्कर, नमक, मोटा अनाज या अन्य परिवहन कार्य का कम से कम एक वित्तीय वर्ष का अनुभव जिसमें एक वर्ष में किये गये परिवहन कार्य का कुल परिवहन भाडा न्यूनतम रू0 12 लाख प्राप्त हुआ हो	निविदाकार को अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट 09 अनुसार निर्धारित प्रारूप में स्केन कर अपलोड करना होगा।

उक्त कण्डिका के परिपालन में मे0 पंकजम इंटरप्राइजेज जबलपुर द्वारा निविदा

दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 09 में श्री रविशंकर अग्रवाल व्यावसायिक संस्था नर्मदा रोड लाइंस बल्देव बाग जबलपुर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि का गेहूँ परिवहन ठेके की राशि रू0 18,85,000 का है, एवं मे0 तिरूपति कार्गो जबलपुर द्वारा निविदा दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 09 में श्री रविशंकर अग्रवाल व्यावसायिक संस्था नर्मदा रोड लाइंस बल्देव बाग जबलपुर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि का गेहूँ परिवहन ठेके की राशि रू0 19,05,640 का है।

निविदा दस्तावेज की कण्डिका क0 04 न्यूनतम अर्हताएँ एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण की उपकण्डिका 4.8 में निम्न प्रावधान है :–

अनिवार्य अर्हताएँ	अनिवार्य दस्तावेज
निविदाकार एकल स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कंपनी की स्थिति मे कंपनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।"	निविदाकार एकल स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कंपनी की स्थिति मे कंपनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

उक्त कण्डिका के परिपालन में मे0 पंकजम इंटरप्राइजेज जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 अंतर्गत जिला श्रम कार्यालय जबलपुर द्वारा जारी ऑनलाईन स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया गया है। जिसका ऑनलाईन पंजीयन चिन्ह एवं कमांक सी/205934 दिनांक 10.07.2015 है, जिसमें मालिक, प्रबंधक एवं अभिकर्ता के रूप में श्री रोमित अग्रवाल पिता श्री राजेंद्र अग्रवाल पता 101 नवआदर्श कालोनी गढा जबलपुर एवं स्थापना का पता बी 2 बालाजी टावर पूजा नर्सिंग होम के पीछे बल्देव बाग जबलपुर अंकित है। उक्त प्रमाण पत्र अनुसार स्थापना पंजीयन दिनांक 10.07.2015 को किया गया है, एवं मे0 तिरूपति कार्गो जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 अंतर्गत जिला श्रम कार्यालय जबलपुर द्वारा जारी ऑनलाईन स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया गया है। जिसका ऑनलाईन पंजीयन चिन्ह एवं कमांक सी/205940 दिनांक 10.07.2015 है, जिसमें मालिक, प्रबंधक एवं अभिकर्ता के रूप में श्री रत्नेश अग्रवाल पिता श्री रविशंकर अग्रवाल पता 1686 नवआदर्श कालोनी एम आर फोर रोड जबलपुर एवं स्थापना का पता बी 1 बालाजी टावर पूजा नर्सिंग होम के पीछे बल्देव बाग जबलपुर अंकित है, उक्त प्रमाण पत्र अनुसार स्थापना पंजीयन दिनांक 10.07.2015 को किया गया है।

इस प्रकार मे0 पंकजम इंटरप्राइजेज जबलपुर एवं मे0 तिरूपति कार्गो जबलपुर द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार फर्म की स्थापना के पंजीयन का दिनांक 10.07.2015 है, जबकि फर्म द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि का है, अतः यह प्रमाणित होता है कि जब फर्म का पंजीयन दिनांक 10.07.2015 को हुआ, तब फर्म द्वारा स्थापना पंजीयन के पूर्व दिनांक 01.01.2015 से परिवहन ठेके का अनुभव कैसे प्राप्त कर लिया गया, इस प्रकार फर्म द्वारा निविदा के साथ असत्य, छलपूर्ण या त्रूटिपूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत कर संविदा के नियम, निर्देश, शर्त का उल्लंघन किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कण्डिका क0 38 अयोग्यताऐं के अंतर्गत कण्डिका क0 38.3 अनुसार " परिवहनकर्ता या उससे संबंधित उसके पार्टनर/बिजनेस एसोसिएट/स्टाफ/मजदूर के विषय मे विपणन संघ को यह विश्वास होने पर कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा/आचरण संदिग्ध है, तब विपणन संघ की सर्वोच्च छवि एवं हितों के लिए

ऐसे परिवहनकर्ता को उसी समय विपणन संघ से संबंद्ध समस्त कार्यवाहियों के लिए अयोग्य घोषित कर प्रचलित प्रक्रिया से/संविदा से हटा देगा। परिवहनकर्ता के इस कृत्य के कारण विपणन संघ की प्रतिष्ठा, छवि, कार्यकुशलता पर आये विपरीत प्रभाव की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। " एवं कण्डिका क0 38.4 अनुसार " परिवहनकर्ता द्वारा असत्य, छलपूर्ण या त्रूटिपूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने, संविदा के नियम, निर्देश, शर्त का उल्लंघन करने पर, तो अनुबंध समाप्त किया जायेगा और अनुबंध की शेष अवधि के लिए परिवहनकर्ता की जोखिम एवं खर्च पर कार्य करवाया जाकर राशि वसूली जायेगी। "

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मे0 पंकजम इंटरप्राइजेज जबलपुर के प्रोपाईटर श्री रोमित अग्रवाल एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले फर्म मे0 नर्मदा रोड लाईस जबलपुर के प्रोपाईटर श्री रविशंकर अग्रवाल आपस में निकटतम संबंधी हैं, एवं मे0 तिरूपति कार्गो जबलपुर के प्रोपाईटर श्री रत्नेश अग्रवाल एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले फर्म मे0 नर्मदा रोड लाईस जबलपुर के प्रोपाईटर श्री रविशंकर अग्रवाल आपस में पुत्र एवं पिता हैं।

इस प्रकार मे0 नर्मदा रोड लाईन जबलपुर द्वारा असत्य, छलपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र उक्त दोनो फर्मों मे0 पंकजम इंटरप्राइजेज जबलपुर एवं मे0 तिरूपति कार्गो जबलपुर को जारी किये गये हैं।

मे0 नर्मदा रोड लाईन जबलपुर रबी विपणन वर्ष 2010–11 में विपणन संघ के सिवनी जिले में गेहूँ/बारदाना परिवहन हेतु अधिकृत परिवहनकर्ता थे, तत्समय म0प्र0 शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय क0 एफ 5–62/10/29–1 भोपाल दिनांक 09.03.2010 एवं एम0पी0 स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल के पत्र क0/उपार्जन/रबी/2010–11/1641 भोपाल दिनांक 10.03.2010 द्वारा रबी विपणन वर्ष 2010–11 में गेहूँ उपार्जन का कार्य कराया गया जिसमें से प्रदेश के 23 जिलों मे गेहूँ उपार्जन का कार्य करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को आदेशित किया गया, जिसमें सिवनी जिला भी सम्मिलित है, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के जिला कार्यालय सिवनी ने गेहूँ उपार्जन कार्य हेतु जिले में कुल 49 सहकारी समितियों का जिला कलेक्टर सिवनी के अनुमोदनोपरांत विपणन संघ की एजेंट नियुक्त की गई। इन समितियों द्वारा सिवनी जिले मे कृषको से गेहूँ उपार्जित किया गया समितियो द्वारा गेहूँ म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लि0 भोपाल के माध्यम से प्रदत्त नये जूट बारदानों मे निर्धारित मार्का लगाकर भराकर, सिलाई करने के उपरांत म0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के गोदामों मे मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लि0 के नाम से जमा किया जाना शासन द्वारा निर्देशित किया गया था। सिवनी जिले मे समर्थन मूल्य पर उपार्जित किये गये गेहूँ को कतिपय सहकारी समितियों द्वारा नये बारदानो के बजाय पुराने बारदानो मे भरकर म0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की गोदामों मे जमा कराने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल द्वारा कार्यालयीन आदेश क0/उपार्जन/सम मू गेहूँ/1451/भोपाल दिनांक 17.05.2010 से तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की जाकर जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर विपणन संघ मुख्यालय भोपाल द्वारा पत्र क0/जांच/2302/दिनांक 15.06.2010 से जिला विपणन अधिकारी सिवनी को प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराने हेतु आदेश दिये गये। जांच प्रतिवेदन में सिवनी जिले में नियुक्त एजेंट सहकारी समितियों को गेहूँ उपार्जन के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले जूट बारदानों मे निम्नवत हेराफेरी किया जाना पाया गया :–

1. विपणन संघ गोदाम सिवनी से 12 एजेण्ट सहकारी समितियॉ (भीमगढ,बीजा देवरी, कान्हीवाडा, समनापुर, उगली, अर्जुनझीर, चक्की खमरिया घावडी सुनहरा, खुर्सीपार, वृहताकार बरघाट, विपणन समिति बरघाट (पलारी) को विभिन्न ट्रको के माध्यम से डिलेवरी चालान पर नये जूट बारदानो की 152 गठाने भेजी गई जो इन समितियों को प्राप्त नही हुई।

2. विपणन संघ के डिण्डोरी (जिला डिण्डोरी) केंद्र से डिलेवरी चालान क्र0 39980 दिनांक 26.04.2010 द्वारा ट्रक क्र0 एम0पी0 23 डी 6859 को विपणन संघ के सिवनी केंद्र के लिए नये जूट बारदाना की 35 गठाने प्रदत्त की गई जिसमें से 18 गठाने संघ की एजेंट समिति आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कुडारी को प्रदाय कर दी गई तथा शेष 17 गठानों की प्राप्ति विपणन संघ के सिवनी गोदाम को नही हुई।

उपरोक्तानुसार दोनो शीर्षो को मिलाकर कुल 169 नग नया जूट बारदाना गठान (कुल 84500 नग बारदाना) की भारत सरकार द्वारा प्रावधानिक दर 50 कि0ग्रा0 भर्ती के दो (2) नग बारदानों की कीमत रूपया 64.80 के मान से कुल राशि रू0 27,37,800 होती है, जिसकी अंतिम दर मे वृद्धि होना संभावित है, प्रदायित 1 बोरा 50 किलो भर्ती का है। उक्त संबंध में विपणन संघ के तत्कालीन जिला विपणन अधिकारी स्वर्गीय श्री पी0एल0 चौहान द्वारा सिवनी जिले में 84,500 जूट बारदाना राशि रू0 27,37,800 की हुई अफरा–तफरी की प्राथमिक सूचना क्र0 358/10 दिनांक 26.06.2010 को पुलिस थाना कोतवाली सिवनी में दर्ज कराई गई थी, जिसमें श्री रविशंकर अग्रवाल परिवहनकर्ता मे0 नर्मदा रोड लाईसं जबलपुर भी आरोपी हैं। पुलिस थाना कोतवाली सिवनी द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी कर प्रकरण में चालान क्र0 911/13 दिनांक 30.10.2013 को तैयार कर दिनांक 04.02.2014 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 महोदय के यहाँ चालान पेश किया गया है जिसका केश नंबंर 430/14 है। जो कि वर्तमान में माननीय न्यायालय श्री एस0के0जोशी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी में विचाराधीन है, जिसका सत्र प्रकरण क्र0 71/2014 है।

अतः निविदा दस्तावेज की उक्त कण्डिकाओ के प्रावधानो के तहत इस कृत्य में सम्मिलित मे0 नर्मदा रोड लाईस जबलपुर को असत्य, छलपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने एवं अपराधिक कृत्य करने के फलस्वरूप उन्हें भविष्य में विपणन संघ की समस्त परिवहन निविदाओं मे किसी भी हैसियत से भाग लेने हेतु 10 वर्षो तक के लिये अनुपयुक्त/अयोग्य घोषित किया जाता है, साथ ही उक्त फर्म के स्वामी श्री रविशंकर अग्रवाल के स्वामित्व या भागीदारी की कोई फर्म विपणन संघ मे परिवहन हेतु आगामी 10 वर्षो तक पात्र नही होगी।

मे0 नर्मदा रोड लाईस जबलपुर के समस्त प्रकार के भुगतानो पर भी अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(बी0एम0शर्मा) 10/10
प्रबंध संचालक

पृ0 क्र0/उपा0एवंमि0/गेहूँ परिवहन/5553/2016 भोपाल,दिनांक 10.10.2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 भोपाल।
4. मुख्यलेखाधिकारी सहवित्तीय नियंत्रक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।
5. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल। कृपया उक्त आदेश को संघ की बेबसाइट मे अपलोड करावें।
6. मंडल प्रबंधक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ———(समस्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7. जिला विपणन अधिकारी, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ———(समस्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। जिला विपणन अधिकारी जबलपुर उक्त आदेश की संबंधित को तामीली कराकर पावती मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

8. श्री रविशंकर अग्रवाल प्रोपराईटर मे0 नर्मदा रोड लाईंस बल्देव बाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रबंध संचालक

D:\ray sir\letter 2015-16.docx